

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री स्नेहल धायगडे नाना (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 63/2020

अनवान

1. पुजा सिन्थेटिक्स प्रा०लि० जरिये डारेक्टर शरद काबरा पुत्र श्री शंकर लाल काबरा निवासी ए-5-5 फर्स्ट फ्लोर भीलवाडा टैक्सटाईल मार्केट पुर रोड, भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोदू पुत्र श्री भागू कीर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री भैरू पुत्र श्री भागू कीर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. मांगी लाल पुत्र श्री मूला कीर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री देवी लाल पुत्र श्री मूला कीर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्री बंशीलाल पुत्र श्री मूला कीर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. श्री भैरू लाल पुत्र श्री मूला कीर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्री नन्दा पुत्र श्री गंगाराम रेगर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. श्री शंकर पुत्र श्री हजारी रेगर निवासी कीरो की झौपडिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 20.10.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.08.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमहीगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 688 के आ.न. 1591 रकबा 0.9864 है०, आ.न. 1592 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 1594 रकबा 1.0116 है० आ.न. 1595 रकबा 0.3414 है०, आ.न. 1596 रकबा 0.2276 है०, कुल किता 5 रकबा 2.6049 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि के आ.न. 1591 रकबा 0.9864 है०, आ.न. 1592 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 1594 रकबा 1.0116 है० आ.न. 1595 रकबा 0.3414 है०, आ.न. 1596 रकबा 0.2276 है०, कुल किता 5 रकबा 2.6049 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1100/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।



(स्नेहल धायगडे नाना)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ